पत्रांक–V / उ0–1–07 / 2025–..... /

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– .....

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर, सम्प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, जहानाबाद के विरुद्ध जिलाधिकारी, बक्सर द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या–132 / 2024 दिनांक–21.06.2024, धारा–30'ए' बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत् अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जाना, पुलिस अधीक्षक, बक्सर के प्रतिवेदनानुसार कांड के पर्यवेक्षण में श्री पाठक के विरूद्ध संकल्प सं0–4821 दिनांक–20.08.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2. संस्थित विभागीय कार्यवाही में श्रीमती रेणू कुमारी सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध–सह–संचालन पदाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत के पत्रांक–1621 दिनांक–27.02.2026 द्वारा अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें तथ्यों, गवाहों एवं तत्समय संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध के जाँच के आलोक में श्री पाठक के विरूद्ध अनाधिकृत उपस्थिति एवं शराब तस्करों से सांठ–गांठ कर शराब परिवहन वाले वाहन को जाँच किये बिना चेकपोस्ट से जाने देने का आरोप अप्रमाणित पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप पत्र के चतुर्थ भाग के 'ख' में अंकित साक्षी जिनके प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र गठन किया गया है, का नियमानुसार परीक्षण / प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में एस0डी0पी0ओ0, डुमरॉव द्वारा वाद से संबंधित साक्ष्य दिनांक–23.02.2026 तक उपलब्ध नहीं कराने की बात कही गयी है तथा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित कर दिया गया है। इस प्रकार जिस प्रतिवेदन पर आरोप पत्र गठित किया गया है उसकी गहन समीक्षा संचालन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेखित अप्राथमिकी अभियुक्त श्री हरेन्द्र सिंह के मोबाईल में पाये गये ऑडियो क्लिप जिसमें शराब की तस्करी / गाड़ी पार कराने के संबंध में श्री दिलीप कुमार पाठक, तदेन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर सम्प्रति जहानाबाद का जिक्र किया गया है एवं फोटो का सत्यापन आदि भी जाँच के क्रम में नहीं किया गया है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित संचालन पदाधिकारी के लिए जाँच हेतु निर्धारित माप दण्डो के अनुरूप नहीं है। अतः इस विभागीय कार्यवाही में उन बिन्दुओं पर आगे की जाँच (Further Inquiry) की आवश्यकता है।

4. विदित हो कि श्रीमती रेणू कुमारी सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध–सह–संचालन पदाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत दिनांक–28.02.2026 को सेवानिवृत हो चुकी हैं। अतएव इस मामले में Further Inquiry हेतु डॉ0 सविता कुमारी, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अशरफ जमाल, अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री दिलीप कुमार पाठक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–V/उ0–1–07/2025–...../ पटना, दिनांक– .....

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–V/उ0–1–07/2025–3234/ पटना, दिनांक– 01.06.26

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र (साक्ष्य तालिका सहित) की प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, डॉ0 सविता कुमारी, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अशरफ जमाल, अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर/श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर, सम्प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, जहानाबाद एवं आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–आरोप पत्र साक्ष्य सहित।

1/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव